

## न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-उमर दीन खान,  
आई.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :-00010/2020

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू।

—बनाम—

मो0 अब्बास पुत्र हसन अली, जाति व्यापारी, निवासी वार्ड नं0 35, मौहल्ला खोरा, झुंझुनू, पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनू, जिला झुंझुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 खण्ड (ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

1. सरकार की ओर से :-श्री सहायक लोक अभियोजक ( प्रथम ) उपस्थित।
2. गैरसायल की ओर से :- श्री इलियास मोहम्मद, अनुपस्थित

—निर्णय—

दिनांक 11.10.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 23.12.2020 को गैरसायल मो0 अब्बास पुत्र हसन अली, जाति व्यापारी, निवासी वार्ड नं0 35, मौहल्ला खोरा, झुंझुनू, पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनू, जिला झुंझुनू के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि मो0 अब्बास पुत्र हसन अली, जाति व्यापारी, निवासी वार्ड नं0 35, मौहल्ला खोरा, झुंझुनू, पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनू, जिला झुंझुनू का रहने वाला है जो एक आपराधिक मनोवृत्ति का बदमाश व्यक्ति है। यह कस्बा झुंझुनू में बदमाश व्यक्तियों का गुट बनाकर गैमलिंग करता है। गैरसायल कस्बा झुंझुनू के युवा लडकों को गैमलिंग हेतु प्रेरित करता है जिससे समाज में युवा वर्ग में इसका विपरीत असर हो रहा है। युवा वर्ग को आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर कर रहा है तथा अनावश्यक ही आपराधिक गतिविधियों से कस्बा झुंझुनू में आम नागरिकों को भयभीत व आतंकित करके रखता है। लेकिन इसके डर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ पुलिस थाना पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाता है तथा ना ही किसी प्रकार की कोई सूचना देता है तथा ना ही इसके खिलाफ कोई व्यक्ति गवाही देने को तैयार है। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराधों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. अभियोग संख्या 149/2017 दिनांक 12.04.2017 धारा 13 आरपीजीओ थाना कोतवाली झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 71/17 दिनांक 25.04.2017 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.05.2017 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 100 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
2. अभियोग संख्या 297/2017 दिनांक 04.07.2017 धारा 13 आरपीजीओ थाना कोतवाली झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 160/17 दिनांक 10.07.2017 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.07.2017 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए परीवीक्षा अधि0 की धारा 3 के तहत प्रताडना देकर 100 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
3. अभियोग संख्या 353/2017 दिनांक 19.08.2017 धारा 13 आरपीजीओ थाना कोतवाली झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 205/17 दिनांक 19.08.2017 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.09.2017 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए परीवीक्षा अधि0 की धारा 3 के तहत प्रताडना देकर 100 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

इस प्रकार उक्त मो0 अब्बास पुत्र हसन अली, जाति व्यापारी, निवासी वार्ड नं0 35, मौहल्ला खोरा, झुंझुनू, पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनू, जिला झुंझुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3/2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (5) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

1

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा गैरसायल को अपना पक्ष मय सबूतों के रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। गैरसायल ने बावजूद इसके अपने बचाव में न तो कोई जबाब पेश किया और न ही कोई साक्ष्य सबूत पेश किया। गैरसायल के विरुद्ध जबाब बन्द कर एकपक्षीय सुनवाई की गई।

बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान एपीपी-1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं जिला झुंझुनूं में निम्न अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं-

1. अभियोग संख्या 149/2017 दिनांक 12.04.2017 धारा 13 आरपीजीओ थाना कोतवाली झुंझुनूं में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 71/17 दिनांक 25.04.2017 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.05.2017 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 100 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
2. अभियोग संख्या 297/2017 दिनांक 04.07.2017 धारा 13 आरपीजीओ थाना कोतवाली झुंझुनूं में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 160/17 दिनांक 10.07.2017 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 17.07.2017 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए परीवीक्षा अधि० की धारा 3 के तहत प्रताडना देकर 100 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
3. अभियोग संख्या 353/2017 दिनांक 19.08.2017 धारा 13 आरपीजीओ थाना कोतवाली झुंझुनूं में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 205/17 दिनांक 19.08.2017 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.09.2017 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए परीवीक्षा अधि० की धारा 3 के तहत प्रताडना देकर 100 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि० 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) में अंकित धारा के अधीन 3 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनूं जिले से निष्कासित किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस विद्वान एपीपी-1 पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक गैरसायल के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं जिला झुंझुनूं में अभियोग संख्या 149/2017 दिनांक 12.04.2017 धारा 13 आरपीजीओ, अभियोग संख्या 297/2017 दिनांक 04.07.2017 धारा 13 आरपीजीओ एवं अभियोग संख्या 353/2017 दिनांक 19.08.2017 धारा 13 आरपीजीओ थाना कोतवाली झुंझुनूं में दर्ज हुई थी, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हुई है। इसकी चार्जशीट न्यायालय में पेश हुई थी। जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल मो० अब्बास को दोषी मानकर परीवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत क्रमशः 100 रुपये, 100 रुपये एवं 100 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया है। गैरसायल मो० अब्बास राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 3 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। गैरसायल को अपना पक्ष मय सबूतों के रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया। गैरसायल ने बावजूद इसके अपने बचाव में न तो कोई जबाब पेश किया और न ही कोई साक्ष्य सबूत पेश किया। गैरसायल के विरुद्ध जबाब बन्द कर एकपक्षीय सुनवाई की गई। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति में पुनः लगकर युवा पीढ़ी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हें दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (ii) में अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूं।

अतः मो० अब्बास पुत्र हसन अली, जाति व्यापारी, निवासी वार्ड नं० 35, मौहल्ला खोरा, झुंझुनूं पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं जिला झुंझुनूं को राज० गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (ii) के तहत 15 दिन की अवधि के लिए झुंझुनूं जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त 15 दिन की अवधि में गैर सायल कोतवाली चूरू क्षेत्र में रहेगा तथा वह प्रतिदिन कोतवाली में उपस्थिति

दर्ज करवायेगा तथा थाना कोतवाली चूरु इसकी लगातार सूचना पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं जिला झुंझुनूं को देंगे तथा थानाधिकारी थाना कोतवाली झुंझुनूं जिला झुंझुनूं गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा। यह निर्णय दिनांक 11.10.2021 के पश्चात 07 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुंझुनूं को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.10.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

( उमर वीन खान )  
जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं  
जिला मजिस्ट्रेट  
झुंझुनूं

11/10/21